19/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

तारीख रजू— 10/02/14

अपील संख्या 46/14

1—बुद्धराम पुत्र मन्ना जाति कण्डेरा निवासी मिझोरा तहसील सपोटरा।
2—धापू पुत्री मन्ना जाति कण्डेरा निवासी मिझोरा तहसील सपोटरा।
3—शारदा पुत्री बजरंगा जाति कण्डेरा निवासी मिझोरा तहसील सपोटरा।
4—माया पुत्री बजरंगा जाति कण्डेरा निवासी मिझोरा तहसील सपोटरा।
5—पप्पू पुत्र बजरंगा जाति कण्डेरा निवासी मिझोरा तहसील सपोटरा।
6—गिर्राज पुत्र बजरंगा जाति कण्डेरा निवासी मिझोरा तहसील सपोटरा।
7—विनोद पुत्र बजरंगा जाति कण्डेरा निवासी मिझोरा तहसील सपोटरा।
8—दाखा पत्नि बजरंगा जाति कण्डेरा निवासी मिझोरा तहसील सपोटरा।
9—शिवचरण पुत्र प्रहलाद जाति कण्डेरा निवासी मिझोरा तहसील सपोटरा।

———अपीलार्थी

बनाम

1—शिम्भू पुत्र प्रभू जाति कण्डेरा उम्र 32 साल निवासी बिचपुरी मिश्रान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
2— ग्राम पंचायत कोसरा जरिये संरपच ग्राम पंचायत कोसरा।
3— तहसीलदार तहसील खण्डार।
4— ननभर पत्नि तुलसीराम जाति जाट निवासी ग्राम कोसरा तहसील खण्डार।

—— रेस्पोण्डेण्टस

निर्णय दिनांक—. 27.2.18

अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील तहसीलदार तहसील खण्डार के मिसल संख्या 1/14 में पारित निर्णय दिनांक 03/02/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा मृतक कलुआ पुत्र बंशीलाल जाति कण्डेरा की स्व अर्जित सम्पति की विरासत वसीयत पत्र के आधार पर ग्राम बिचपुरी गुजार में कलुआ पुत्र बंशीलाल जाति कण्डेरा की खातेदारी भूमि का नामान्तकरण खोला गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अदालत मातहत की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर एवं अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने शामिल

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तामील की गई। उक्त प्रकरण में प्रार्थीया मनभर पत्नि तुलसीराम जाति जाट ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के तहत इस आशय का पेश किया उक्त वाद आराजीयात प्रार्थीया ने विकय पत्र दिनांक 25/10/2013 द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 8 से कय की थी। अतः प्रार्थीया को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया जावे।

आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 8 से कय की थी तथा प्रार्थीया मनभर पत्नि तुलसीराम जाति जाट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेत (विक्रय पत्र) रजिस्टर्ड है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया मनभर पत्नि तुलसीराम जाति जाट निवासी ग्राम कोसरा तहसील खण्डार को आवश्यक पक्षकार होने के कारण रेस्पों0 सं0 4 बनाया जाता है एवं रेस्पों0 सं0 4 का अंकन अपील मीमों में अंकित किया जाता है तत्पश्चात् उभय पक्षों की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि ग्राम बिचपुरी मिश्रान तहसील खण्डार में अपीलान्ट का [illegible] रहता है तथा अपीलान्ट का पैतृक धन्धा रूई धुनने का समय अनुसार बन्द हो जाने के कारण अपीलान्ट को गॉव छोड़ना पड़ा और ग्राम मिझोरा तहसील सपोटरा में जाकर मजदूरी खनन कार्य करना पड़ा और वही रहने लगा। मृतक कलुआ भी अपीलार्थी के साथ ही ग्राम मिझोरा तहसील सपोटरा में रहता है। ग्राम बिचपुरी मिश्रान में पैतृक आराजीयात की भूमि खं0नं0 54/4 रकबा 8 बीघा भूमि कलुआ पुत्र बंशीलाल के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी तथा कलुआ के हो जाने पर उक्त वाद आराजीयात का विरासत नामान्तकरण अपीलार्थीगण के नाम दिनांक [illegible]/2013 को खोला जा चुका था तथा तत्पश्चात् उक्त वाद आराजीयात अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पों0 सं0 4 श्रीमति मनभर पत्नि तुलसीराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विकय कर कब्जा सम्भला दिया था तत्पश्चात् रेस्पों0 सं0 1 ने फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 569 के विरूद्ध अपील न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार के यहां प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार ने वसीयत की सत्यता की जांच किये बिना ही नामान्तकरण निरस्त कर तहसीलदार खण्डार को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत् निर्णय पारित करे, लेकिन तहसीलदार खण्डार ने केवल रेस्पों0 सं0 1 को सुनकर निर्णय दिनांक 03/02/2014 पारित कर दिया जो विधि अनुरुप नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है तथा रेस्पों0 सं0 1 द्वारा जो मृतक कलुआ की वसीयत पेश

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

21/A

की गई है। वह वसीयत फर्जी है। उक्त वसीयत में गवाहों द्वारा कोई प्रमाणीकरण नहीं किया हुआ है, साथ ही उक्त वसीयत में मृतक कलुआ ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा 54/5 रकबा 8 बीघा होना बताया है, जबकि मृतक कलुआ की खातेदारी भूमि 54/4 रकबा 8 बीघा है तथा वसीयत कर्त्ता की मृत्यु के पश्चात् वसीयत में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03/02/2014 व उसके अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज नामान्तकरण सं0 569 दिनांक 03/02/14 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए विद्वान वकील रेस्पों0सं01 ने बहस मे तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा पारित किया गया निर्णय दिनांक 03/02/14 विधि अनुरूप है। उप जिला कलेक्टर खण्डार के निर्णय दिनांक 17/1/14 के अनुसार तहसीलदार खण्डार ने अपीलान्टगण को सम्मन जारी किये थे तथा अपीलार्थीगण के उपस्थित नहीं होने पर ही नियमानुसार निर्णय पारित किया गया था तथा अदालत मातहत ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि वसीयत में खं0नं0 54/5 व खाते में खं0नं0 54/4 अंकित है जो लिपिकीय त्रुटि है। उक्त नामान्तकरण मृतक कलुआ की वसीयत के आधार पर खोला गया है जो विधि अनुरूप व नियमानुसार है, साथ ही वकील रेस्पों0 सं0 1 ने अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03/02/2014 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील रेस्पों0 सं0 4 ने दौराने बहस में तर्क दिया कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार ने अपने निर्णय दिनांक 17/01/14 द्वारा नामान्तकरण [illegible] दिनांक 20/07/2013 निरस्त कर तहसीलदार खण्डार को निर्देश दिया था कि दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत् निर्णय पारित करे,लेकिन तहसीलदार खण्डार ने उभय पक्षों को नहीं सुना नाहि कोई नोटिस जारी किया , यदि तहसीलदार खन्डार द्वारा नोटिस जारी किया जाता तो उक्त नोटिस के पुस्त भाग पर तामील कुन्निदा की रिपोर्ट एवं हस्ताक्षर तथा अपीलार्थीगण के प्राप्ति हस्ताक्षर [illegible] ऐसा नहीं है तथा रेस्पों0 सं0 1 के पक्ष में जिस वसीयत से नामान्तकरण खोला गया है उस वसीयत में खं0नं0 54/5 अंकित किया हुआ है, जबकि नामान्तकरण खं0नं0 54/4 का खोला गया है तथा अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व वसीयत पर मृतक कलुआ द्वारा जो अंगूठा निशानी करना बताया है , उसका कोई मिलान नहीं किया गया है तथा असली वसीयत ना तो अदालत मातहत में पेश की गई है ना हि सिविल न्यायालय में पेश की गई है तथा वसीयत कर्त्ता के फोत हो जाने पर वसीयत में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

किया जा सकता है, तथा वकील रेस्पों0 सं0 4 ने उक्त नामान्तकरण संख्या 569 दिनांक 03/2/14 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात सर्वप्रथम यह पाया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार ,जिला सवाई माधोपुर द्वारा अपने मु0नं0 9/13 निर्णय दिनांक 07/01/14 द्वारा नामानतकरण संख्या 569 दिनांक 20/07/2013 निरस्त किया जाकर तहसीलदार खण्डार को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत् निर्णय पारित करे, उक्त कम में तहसीलदार खण्डार ने दिनांक 24/01/2014 को अपीलार्थीगण व रेस्पों0 सं01 को सम्मन जारी किये उक्त सम्मन पर रेस्पों0 सं0 1 उपस्थित हो गया लेकिन अपीलार्थीगण उपस्थित नहीं हुए, तहसीलदार खण्डार द्वारा जारी किये गये सम्मन का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उक्त सम्मन पर ना तो तामिल कुनिदा के हस्ताक्षर/रिपोर्ट है ना हि अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर/अगूंठा निशानी है, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण को उक्त सम्मन की कोई सूचना नहीं थी तथा न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार के निर्णय अनुसार उभय पक्षों को न सुनकर अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा वकील रेस्पों0 सं0 4 ने दोराने बहस कथन किया कि वसीयत कर्त्ता की फोत हो जाने पर वसीयत में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। वकील रेस्पों सं0 4 के इस कथन से मैं सहमत हूं। अतः मेरे अभिमत में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/2/2014 व उसकी पालना में खोला गया नामान्तकरण सं0 369 दिनांक 03/02/2014 निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनकर एवं रेस्पों0 सं0 1 से मूल वसीयत प्राप्त कर उसकी सत्यता की जांच कर तथा वसीयत कर्त्ता की फोत हो जाने पर वसीयत में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है अथवा नहीं इस तथ्य को ध्यान में रखकर नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.2.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर